Diary No. DNO/26/CCPD/6211 **Dated:** 02/09/2026

Case No: DNO/26/CCPD/6211

In the Matter of

Complainant

Smt. Kanchan Sadabhai Parmar

Versus

Respondent(s)

1. The Director General, Postal Services
2. The Chief Post Master General (Gujarat Circle)
3. The Department of Personnel and Training,

1. Gist of the Complaint

1.1 The Complainant, Ms. Kanchanben Sudabhai Parmar, a person with benchmark Low Vision, submitted a grievance dated 18.04.2026, contesting that she is the legal heir of her deceased father, who was employed in the Department of Posts. She stated that after the demise of her parents, the family pension was discontinued in January 2019. She further submitted that the other legal heirs had relinquished their share in her favour through an inheritance certificate and that, being a divorced woman with no independent source of income, she had submitted all requisite documents, including affidavits regarding her marital status. Despite repeated submissions, the Respondents had neither resumed the family pension nor processed her claim and continued seeking additional documents.

2. Hearing

2.1. A hearing was conducted on 23.07.2026 in hybrid mode, wherein the following

parties/representatives were present:

Sl. No.	Name of the Parties / Representatives	On Behalf of
1	Ms. Kanchanben Sudabhai Parmar	Complainant
2	Ms. Anuradha, Director	Respondent 1
3	Ms. Charu, Deputy Secy (Res-II)	Respondent 3

3. Record of Proceedings

3.1 During the proceedings, The Respondent submitted that the Complainant had failed to produce the mandatory documents required for processing her claim for family pension. It was submitted that no decree of divorce issued by a competent court had been furnished and that only a notarized affidavit had been submitted, which could not be accepted as proof of divorce. The Respondent further submitted that the disability certificate had been issued only in the year 2023, whereas both the deceased employee and his spouse had passed away much earlier. It was further submitted that although the Complainant's name appeared in the nomination records as the daughter of the deceased employee, no disability had ever been recorded in the service records or brought to the notice of the Department during the lifetime of the employee or the pensioner.

3.2 Upon hearing the Respondent, the Court sought clarification as to whether the Complainant had been reflected in the service records or PPO as a dependent eligible for family pension on account of disability. The Respondent reiterated that while the Complainant's name was available in the nomination records, there was no indication of any disability, nor had any claim based on disability or divorce been raised before the Department until the year 2023.

3.3 The Court thereafter sought clarification from the Complainant regarding the stage at which she acquired her disability, the reason for obtaining the disability certificate only in 2023, why the disability had not been disclosed to the employer during the lifetime of her parents, and the reasons for the delay in seeking family pension. The Complainant submitted that she had been suffering from vision impairment for several years and had undergone medical treatment but obtained the disability certificate only in 2023. She

further submitted that she did not possess a decree of divorce issued by a competent court and had only submitted affidavits in support of her claim.

3.4 Upon hearing both parties, the Court observed that entitlement to family pension on the ground of disability is governed by specific statutory requirements, which require, inter alia, that the disability be duly established and brought on record during the lifetime of the deceased employee or the pensioner, and that the claimant satisfy all other prescribed eligibility conditions. The Court observed that the material placed on record did not establish compliance with these mandatory requirements.

3.5 The Court further observed that the disability certificate had been obtained only in the year 2023, several years after the demise of both parents (mother expired in 2018 and father expired in 2005), and that there was no material to show that the disability had ever been recorded in the service records or communicated to the employer during the relevant period. The Court also noted that the Complainant had failed to produce any legally valid proof of divorce and had relied only upon affidavits, which could not substitute a decree of divorce issued by a competent court.

3.6 The Court further observed that no medical evidence had been placed on record establishing that the Complainant's disability rendered her incapable of earning her livelihood, which constitutes an essential requirement for grant of family pension to a child with disability under the applicable rules. The Court, therefore, found that the deficiencies in the documentary record could not be attributed to any discriminatory act or omission on the part of the Respondents.

3.7 Accordingly, the Court observed that, in the absence of the requisite statutory documents, no case of violation or discrimination was made out against the Respondents. The Court further observed that the Complainant may obtain and submit the necessary documentary evidence,

1. the prescribed disability certificate issued by the competent medical authority,

2. a medical certificate issued by the competent authority certifying that the Complainant is unable to earn her livelihood on account of her disability, as required under the applicable rules governing family pension,

3. a decree of divorce passed by a competent Civil Court establishing her status as a divorced and unmarried woman for the purpose of claiming family pension.

before the competent authority, whereupon her claim may be considered in accordance with law. Consequently, the Court has determined no further intervention necessary.

4. Accordingly, the case is disposed of.

प्रकरण संख्या : DNO/26/CCPD/6211

प्रकरण मे

शिकायतकर्ता

श्रीमती कंचन सदाभाई परमार

बनाम

प्रतिवादीगण

1. डाक सेवाओं के महानिदेशक
2. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (गुजरात सर्किल)
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)

1. शिकायत का सार

1.1 शिकायतकर्ता, सुश्री कंचनबेन सुदाभाई परमार, जो बेंचमार्क लो विज़न (Low Vision) से युक्त दिव्यांग व्यक्ति हैं, ने दिनांक 18.04.2026 को प्रस्तुत शिकायत में अवगत कराया कि वह अपने दिवंगत पिता की वैधानिक उत्तराधिकारी हैं, जो डाक विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके माता-पिता के निधन के पश्चात जनवरी, 2019 से पारिवारिक पेंशन का भुगतान बंद कर दिया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अन्य सभी वैधानिक उत्तराधिकारियों ने उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (Inheritance Certificate) के माध्यम से अपने अधिकार उनके पक्ष में त्याग दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह तलाकशुदा हैं तथा उनकी आजीविका क

Diary No. DNO/26/CCPD/6211 **Dated:** 02/09/2026

ा कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं है। उन्होंने अपने वैवाहिक स्थिति से संबंधित शपथपत्रों सहित सभी आवश्यक दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत किए, तथ ापि प्रतिवादियों द्वारा न तो उनकी पारिवारिक पेंशन पुनः प्रारंभ की गई और न ही उनके दावे का निस्तारण किया गया तथा उनसे लगातार अ तरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जाता रहा।

2. सुनवाई

2.1 इस प्रकरण में दिनांक23.07.2026 को हाइब्रिड माध्यम से सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित पक्षकार/प्रतिनिधि उपस्थित रहे—

क्र. सं.	पक्षकार / प्रतिनिधि का नाम	की ओर से
1.	सुश्री कंचनबेन सुदाभाई परमार	शिकायतकर्ता
2.	सुश्री अनुराधा, निदेशक	प्रतिवादी सं. 1
3.	सुश्री चारु, उप सचिव (आरक्षण-II)	प्रतिवादी सं. 3

3. कार्यवाही का अभिलेख (Record of Proceedings)

3.1 सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिक्री प्रस्तुत नहीं की है और केवल एक नोटरीकृत शपथपत्र दिया है, जिसे तलाक का वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वर्ष 2023 में जारी हुआ, जबकि उनके माता-पिता का निधन उससे कई वर्ष पहले हो चुका था। साथ ही, सेवा अभिलेखों में शिकायतकर्ता की दिव्यांगता का कोई उल्लेख नहीं था और कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवनकाल में विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

3.2 न्यायालय ने प्रतिवादी से पूछा कि क्या शिकायतकर्ता का नाम सेवा अभिलेखों या पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में दिव्यांग आश्रित के रूप में दर्ज था। इस पर प्रतिवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता का नाम नामांकन अभिलेखों में पुत्री के रूप में दर्ज था, लेकिन उनकी दिव्यांगता का कोई उल्लेख नहीं था। वर्ष 2023 से पहले विभाग के पास दिव्यांगता या तलाक के आधार पर कोई दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.3 इसके बाद न्यायालय ने शिकायतकर्ता से पूछा कि उनकी दिव्यांगता कब से है, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वर्ष 2023 में ही क्यों बनवाया गया, उनके माता-पिता के जीवनकाल में विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई तथा पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करने में इतना विलंब क्यों हुआ। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें कई वर्षों से दृष्टि संबंधी समस्या थी और उनका इलाज चलता रहा, लेकिन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वर्ष 2023 में बनवाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिक्री नहीं है और उन्होंने केवल शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं।

3.4 दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि दिव्यांगता के आधार पर पारिवारिक पेंशन पाने के लिए कुछ निर्धारित कानूनी शर्तें पूरी करना आवश्यक है। इनमें यह भी शामिल है कि दिव्यांगता का प्रमाण कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवनकाल में विभाग के रिकॉर्ड में होना चाहिए तथा अन्य सभी आवश्यक पात्रता शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता कि इन शर्तों का पालन किया गया था।

3.5 न्यायालय ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वर्ष 2023 में बना, जो उनके माता-पिता के निधन के कई वर्ष बाद का है। ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि उनकी दिव्यांगता पहले विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज थी या विभाग को इसकी जानकारी दी गई थी। न्यायालय ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने तलाक के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी कोई वैध आदेश प्रस्तुत नहीं किया और केवल शपथपत्रों पर भरोसा किया, जिन्हें पर्याप्त कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता।

3.6 न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा कोई चिकित्सीय प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि शिकायतकर्ता अपनी दिव्यांगता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। जबकि लागू नियमों के अनुसार दिव्यांग संतान को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। इसलिए न्यायालय ने माना कि उपलब्ध दस्तावेजों की कमी के लिए प्रतिवादियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

3.7
इसलिए, न्यायालय ने माना कि आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के अभाव में प्रतिवादियों के विरुद्ध अधिकारों के उल्लंघन या भेदभाव का कोई म ामला नहीं बनता है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता अपने पारिवारिक पेंशन के दावे पर विधि के अनुसार ि वचार करवाना चाहती हैं, तो वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्ता वेज शामिल होंगे—

1. सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारितदिव्यांगता प्रमाण-पत्र;

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसाचिकित्सीय प्रमाण-पत्र, जिसमें यह प्रमाणित हो कि शिकायतकर्ता अपनी दिव्यांगता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं;

3. सक्षमसिविल न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिक्री (Divorce Decree), जिससे यह प्रमाणित हो कि शिकायतकर्ता तलाकशुदा हैं और परिवार पेंशन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता र खती हैं।

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करती हैं, तो उनके दावे पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है। इसलिए न्यायालय ने इस मामले में आगे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाई।

न्यायालय मुख्य आयुक्त
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार/ Government of India

Diary No. DNO/26/CCPD/6211 **Dated:** 02/09/2026

4. अतः, यह प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

Yours faithfully,

(S. Govindaraj)
Commissioner

5वीं मंजिल, एनआईएसडी भवन, प्लॉट न०. जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाषः 011-20892364, 20892275
5th Floor, NISD Building, Plot No.G-2, Sector-10, Dwaraka, New Delhi-110075;Tele# 011-20892364, 20892275
E-mail: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(पया भविष्य मे पंत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल/केस संख्या अवश्य लिखे)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)